

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला रायपुर (छ.ग.) 492002
फोन नं. 0771-2221346, फैक्स नं. 0771-2510346
email- lawdept.cg@gov.in

// आदेश //

नवा रायपुर दिनांक 15.01.2024

क्रमांक/ 567/21-ब/छ.ग./2024 राज्य शासन, एतद्द्वारा निम्नांकित तालिका में दर्शित अधिवक्ता को उनके नाम के सम्मुख दर्शित पद पर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए नियुक्त करता है—

अतिरिक्त महाधिवक्ता हेतु—

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम
1	श्री वाय. एस. ठाकुर
2	श्री रणवीर सिंह मरहास
3	श्री राज कुमार गुप्ता
4	श्री आशीष शुक्ला
5	श्री बी. डी. गुरु
6	श्री विवेक शर्मा
7	श्री सुनील काले

उप महाधिवक्ता हेतु—

1	श्री प्रवीण दास
2	श्री विनय पाण्डेय
3	श्री यू. के. एस. चंदेल
4	श्री संजीव पाण्डेय
5	श्री शशांक ठाकुर
6	श्री नीरज शर्मा
7	डॉ. सौरभ कुमार पाण्डेय

Contd..2..

शासकीय अधिवक्ता हेतु -

1	श्री दिलमन रतिमिंज
2	श्री अखिलेश कुमार
3	श्री अजित सिंह
4	श्री केशव गुप्ता
5	श्री संघर्ष पाण्डेय
6	श्री धीरज वानखेड़े
7	श्री अरविन्द दुबे
8	श्री अजय पाण्डेय
9	श्रीमती सुप्रिया उपासने
10	श्री राहुल तामस्कर
11	श्री सतीश गुप्ता
12	श्री रतन पुष्टि
13	श्री संतोष सोनी
14	गैरी मुखोपाध्याय
15	श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव
16	श्री राजीव भारत

उप शासकीय अधिवक्ता हेतु-

1	कु. सुनीता मानिकपुरी
2	श्री प्रमोद श्रीवास्तव
3	श्री अतानु घोष
4	सुश्री प्रज्ञा पाण्डेय
5	सुश्री शैलजा शुक्ला
6	सुश्री उपासना मेहता
7	श्री किशन साहू
8	श्री सुयशधर दीवान
9	श्रीमती प्रज्ञा श्रीवास्तव
10	श्री आशुतोष पाण्डेय
11	श्री अंकुर कश्यप
12	श्री शालिन सिंह बघेल

Contd..3..

पैनल लॉयर हेतु—

1	श्री नितांश जायसवाल
2	श्री शैलेन्द्र शर्मा
3	श्री मो. राहुल अमीन मेनन
4	श्री अभिषेक सिंह
5	श्री लव शर्मा
6	श्री दीपक कुमार सिंह
7	श्री आशुतोष शुक्ला
8	सुश्री मोनिका सिंह ठाकुर
9	श्री रिषभ चन्द्र सिंह देव
10	शुभ्रा श्रीवास्तव
11	श्री अमित वर्मा
12	स्मृति श्रीवास्तव
13	प्रभा शर्मा
14	श्री नंद कुमार कश्यप
15	सुश्री साक्षी गोयल
16	सुश्री आकांक्षा वर्मा
17	श्री अंकुर कश्यप
18	श्री यू. पी. एस. साहू
19	श्री समीर बेहार
20	श्री सुरेन्द्र देवांगन
21	श्री प्रदीप सिंह राठौर
22	श्री विजय बहादुर सिंह

अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाविधवक्ता, शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता को देय फीस विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 12342/4360/21-ब/छ.ग./2015 दिनांक 30.12.2015 के अध्यक्षीन होगा तथा पैनल लॉयर को जब कभी किसी मामले में महाधिवक्ता द्वारा नियुक्त किया जाए तब ऐसे प्रत्येक दिन (प्रभावी पेशी) के लिए उच्च न्यायालय में कार्य करने पर छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क/फीस/पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा

Contd..4..

नियुक्त विधि अधिकारी का कर्तव्य और दायित्व छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैन्युअल के तत्संबंधी प्रावधानों से शासित होंगे तथा दोनों पक्ष कभी भी यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे परन्तु विधि अधिकारी त्यागपत्र देना चाहे तो एक माह का सूचना पत्र देना आवश्यक होगा।

विधि विभाग नियमावली के नियम 09 के अनुसार नियुक्त विधि अधिकारी निम्नलिखित आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करें :-

1. (अ) किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वित्तीय रूप से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और उनके खिलाफ कोई भी सिविल डिक्री लंबित नहीं या उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है।

(ब) किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के द्वारा या राज्य विधिज्ञ परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद जहाँ उनका पंजीयन हो से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(स) उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध ठहराया गया है।

(द) सात वर्ष की विधि व्यवसाय का अनुभव रखते हैं।

2. उक्त घोषणा पत्र प्राप्त करने और घोषणा पत्र में उक्त स्टैंडिंग कौंसिल की नियुक्ति हेतु अनर्हता का कोई तथ्य नहीं होने पर ही महाधिवक्ता उन्हें पदभार ग्रहण करने देंगे। यदि कोई प्रतिकूल तथ्य हो तो कार्यभार ग्रहण करने से निषेधित कर विधि विभाग को सूचित करेंगे।

3. कृपया कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करें, जिसकी प्रतिलिपि महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ बिलासपुर को भी प्रेषित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(रजनीश श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव

विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय

पृ. क्रमांक/568/21-ब/छ.ग./2024


नवा रायपुर, दिनांक 15.01.2024

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी बिलासपुर, (छ.ग.)
2. माननीय महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, छ.ग. उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी बिलासपुर, (छ.ग.)
3. माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव को माननीय मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ,
4. मान. विधि मंत्री जी के निज सचिव को मान. विधि मंत्री जी के अवलोकनार्थ,
5. प्रमुख सचिव, विधि के निज सचिव की ओर प्रमुख सचिव विधि के अवलोकनार्थ,

Contd..5..

6. श्री वाय. एस. ठाकुर, श्री रणवीर सिंह मरहास, श्री राज कुमार गुप्ता, श्री अशीष शुक्ला, श्री बी. डी. गुरु, श्री विवेक शर्मा, श्री सुनील काले, श्री प्रवीण दास, श्री विनय पाण्डेय, श्री यू. के. एस. चंदेल, श्री संजीव पाण्डेय, श्री शशांक ठाकुर, श्री नीरज शर्मा, डॉ. सौरभ कुमार पाण्डेय, श्री दिलमन रतिमिंज, श्री अखिलेश कुमार, श्री अजीत सिंह, श्री केशव गुप्ता, श्री संघर्ष पाण्डेय, श्री धीरज वानखेड़े, श्री अरविन्दु दबे, श्री अजय पाण्डेय, श्रीमती सुप्रिया उपासने, श्री राहुल तामस्कर, श्री सतीश गुप्ता, श्री रतन पुष्टि, श्री संतोष सोनी, श्री गैरी मुखोपाध्याय, श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, श्री राजीव भारत, कु. सुनीता मानिकपुरी, श्री प्रमोद श्रीवास्तव, श्री अतानु घोष, सुश्री प्रज्ञा पाण्डेय, सुश्री शैलजा शुक्ला, सुश्री उपासना मेहता, श्री किशन साहू, श्री सुयशधर दीवान, श्रीमती प्रज्ञा श्रीवास्तव, श्री आशुतोष पाण्डेय, श्री अंकुर कश्यप, श्री शालिन सिंह बघेल, श्री नितांश जायसवाल, श्री शैलेन्द्र शर्मा, श्री मो. राहुल अमीन मेनन, श्री अभिषेक सिंह, श्री लव शर्मा, श्री दीपक कुमार सिंह, श्री आशुतोष शुक्ला, सुश्री मोनिका सिंह ठाकुर, श्री रिषभ चन्द्र सिंह देव, शुभ्रा श्रीवास्तव, श्री अमित वर्मा, स्मृति श्रीवास्तव, प्रभा शर्मा, श्री नंद कुमार कश्यप, सुश्री साक्षी गोयल, सुश्री आकांक्षा वर्मा, श्री अंकुर कश्यप, श्री यू. पी. एस. साहू, श्री समीर बेहार, श्री सुरेन्द्र देवांगन, श्री प्रदीप सिंह राठौर, श्री विजय बहादुर सिंह, अधिवक्ता, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. सिविल शाखा, याचिका शाखा, आपराधिक शाखा, अभियोजन शाखा, लेखा शाखा, न्यायिक शाखा-2, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर ।
8. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन के पास, नया रायपुर (छ.ग.) की ओर राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ,
9. वेबसाईट एडमिनिस्ट्रेटर, विधि और विधायी कार्य विभाग की ओर विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने बाबत् ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


(प्रशांत कुमार भास्कर)

उप सचिव

विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय